उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-5/2022/440/एक-1-2022-रा0-1

लखनऊ: दिनॉक: 15 सितम्बर, 2022

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-329/सात-डी0एल0आर0सी0/2018, दिनांक 25-09-2018 व पत्र संख्या-1189/सात-डी0एल0आर0सी0/2018, दिनांक 30-05-2022 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम नंगलामल, तहसील सदर, जनपद मेरठ स्थित ग्राम समाज की रास्ता खाते की भूमि खसरा संख्या-964मि0/0.1385हे0, 965मि0/0.0605 कुल 02 किता रकबा-0.1990हे0 का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित मवाना शुगर वर्क्स की यूनिट नंगलामल शुगर काम्पलेक्स के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या-928मि0/0.0220हे0, 925मि0/0.0421हे0, 927मि0/0.0340हे0, 926/0.0300हे0, 944मि0/0.0900 हे0 कुल 05 किता रकबा-0.2181हे0 से विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था मवाना शुगर वर्क्स की यूनिट नंगलामल शुगर काम्पलेक्स की भूमि के मध्य स्थित ग्राम नंगलामल, तहसील सदर, जनपद मेरठ के ग्राम समाज की रास्ता खाते की भूमि खसरा संख्या-964मि0/0.1385हे0, 965मि0/0.0605 कुल 02 किता रकबा-0.1990हे0 भूमि संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है।

(2) संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्रप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम नंगलामल, तहसील सदर, जनपद मेरठ में विनिमय के माध्यम से संस्था के स्वामित्व की प्राप्त भूमि खसरा संख्या-928मि0/ 0.0220हे0, 925मि0/0.0421हे0, 927मि0/0.0340 हे0, 926/0.0300हे0, 944मि0/0.0900 हे0 कुल 05 किता रकबा-0.2181हे0 को रास्ता के रूप में सुरक्षित रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव

संख्या-5/2022/440(1)/एक-1-2022-रा0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3- जिलाधिकारी, मेरठ।
4- यूनिट हेड, मवाना शुगर्स लिमिटेड ईकाई नंगलामल शुगर कॉम्पलैक्स, नंगलामल, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001
5- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।